कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 186 दिनांकः– 07.3.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **सर्वश्री झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड द्वारा रामचन्द्रपुर से जादुगोडा तक 132 के0वी0 डी0/सी0 ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.993 हे0 एवं सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत 3.852 हे0 कुल 12.845 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :– **1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर का पत्रांक 527 दिनांक 27.02.2017**
2. वन विभागीय ज्ञापांक 965 दिनांक 03.03.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 12.845 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर R.O.R के पत्रांक FP/JH/Trans/18900/2016/851 दिनांक 28.10.2016 द्वारा पृच्छित कुल पाँच बिन्दुओं का निराकरण प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार R.O.R. द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क्रमांक	पृच्छाऐं	निराकरण
1	Details of the area calculation of forest area proposed for diversion under both Forest Division.	विषयक परियोजना में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि में जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत अधिसूचित वनभूमि 6.105 हे0 एवं जंगल–झाड़ी 2.888 हे0 तथा सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत अधिसूचित वनभूमि 2.642 हे0 एवं जंगल–झाड़ी1.210 हे0 कुल 3.852 हे0 सकल योग 12. 845 हे0 सम्मिलित है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि को प्रमंडलवार forestclearance.nic.in में upload भी किया गया है। timeline details की छायाप्रति संलग्न (अनु0–1) साथ ही दोनों प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी भी संलग्न है। (अनु0– 02)
	Site inspection report of DFO, Saraikela Forest Division in Ministry's prescribed format.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अत्र–सह–संलग्न है। (अनु–03)
3	Geo-referenced map in shape file format of the proposed CA land.	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का पोलीगन के साथ coordinates bearing की पूर्ण विवरणी पूर्व में समर्पित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के

		साथ अनुलग्नक xxx के रूप में संलग्न की गयी है। Geo-referenced map in shape file (CD के रूप में संलग्न है) अनु0 – 4
4	Clarification Justification for selection of Route-I out of three alternatives which involves more forest area in comparison with Route-II	विषयक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रूट के चुनाव के संबंध में रूट I, II एवं III की तुलनात्मक विवरणी पूर्व में समर्पित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के साथ अनु0 XIX के रूप में संलग्न की गयी है। (छायाप्रति संलग्न (अनु0–5)
5	Actual number of trees required to be felled as well as the number of trees enumerated in the total forest land proposed for diversion (As per Ministry's Guidelines No. 11-91/2012-FC(pt) (1) dated 08.04.13.)	विषयक परियोजना हेतु जमशेदपुर एवं सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित पातित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या (गणना सूची) अत्र–सह–संलग्न है। (अनु0–6)

वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 12.845 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I स्वीकृति के दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 186 दिनांक 07.3.17

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/मेसर्स J.S.U.N.L, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

07/3/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Kedar
7.3.17